केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर,
श्रीगंगानगर रोड, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर 334006

क्रमांकः–3(18)BK/NWPSI(MSF)2013/Vol.I/ दिनांकः– 06.08.2014

निविदा सूचना

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नेट वर्क प्रोजेक्ट शीप इम्प्रूवमेंट–मगरा फील्ड यूनिट एवं मारवाडी के अन्तर्गत पशुधन सहायक का कार्य अनुबंध पर कराने के लिए श्रम विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदायें दिनांक 26.08.2014 को 1 बजे तक अरनेस्ट मनी रू.10,000 के साथ आमंत्रित की जाती है। कार्य एवं शर्तों का विवरण निर्धारित निविदा प्रपत्र में अंकित होगा। निविदा फार्म रू. 1000/– नगद जमा करवा कर दिनांक 26.08.2014 को दोपहर 12 बजे से पूर्व प्राप्त किया जा सकते हैं। भरी हुई निविदायें उसी दिन 3 बजे खोली जायेगी। संस्थान का किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। यह जानकारी संस्थान वेब साईट www.cswri.res.in पर भी उपलब्ध है।

प्रभारी क्रय एवं भण्डार

केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर,
श्रीगंगानगर रोड,बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर, राजस्थान

पत्रांक:3(18)BK/NWPSI(MSF)2013/Vol.I/ दिनांक 06.08.2014

निविदा प्रपत्र

नेट वर्क प्रोजेक्ट ऑन शीप इम्प्रूवमेंट मारवाडी व मगरा शीप फील्ड यूनिट परियोजना के अन्तर्गत पशुधन सहायक का कार्य, अनुबंध के आधार पर कराने हेतु श्रम विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित किये जाते हैं जिसके नियम एवं शर्ते निम्न प्रकार से है:-

1. निविदा प्रपत्र की कीमत रू.1000 नगद जमा करवाकर दिनांक 26.08.2014 को 12 बजे तक निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकता है। संस्थान में प्रभागाध्यक्ष के नाम बंद लिफाफे में दिनांक 26.08.2014 को दोपहर 1.00 बजे तक प्रस्तुत करना है। सशर्त व डाक द्वारा भेजी गई तथा देर से प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदाएं उसी दिन 3 बजे खोलीं जायेंगीं।

2. निविदा के साथ रूपये दस हजार मात्र बतौर अमानत राशि के रूप में नकद जमा कराना होगा बिना अमानत राशि के कोई निविदा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

3 पशुधन सहायक के कार्य अनुबन्ध की उचित एवं न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी तथा दर प्रति माह प्रति के हिसाब से प्रस्तुत करनी होगी।

4. अनुबंध की अवधि एक वर्ष तक रहेगी, जिसे कम या अधिक किया जा सकता है, यदि उक्त अवधि के दौरान अनुबंधकर्ता का कार्य असंतोषजनक रहा अथवा उसके द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया गया तो ऐसी परिस्थिति में अनुबंध समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबंधकर्ता की होगी।

5. कार्य का स्थल:-

अ. मगरा फील्ड यूनिट परियोजना में बीकानेर के गाँवों कोटड़ा, कानासर एवं जालवाली में स्थापित तीन केन्द्रों एवं एक रेम रियेरिंग के लिए।

ब.मारवाडी परियोजना के अन्तर्गत मारवाडी सेक्टर के लिए।

6. निम्नांकित कार्यों को सम्पादित किया जाना है-

अ. पशुओं के स्वास्थ्य की जांच में सहयोग करना।

ब. टीकाकरण इत्यादि कार्यो मे सहयोग करना।

स. परियोजना में बताये अनुसार वैज्ञानिकों को नमूने लेने में सहयोग करना तथा गावों में जाकर भी कार्य करना।

द. परियोजना से संबंधित अन्य आवश्यक कार्य जो कि प्रभागाध्यक्ष/ परियोजना अन्वेशक/ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये जाते है।

7. उक्त कार्य के लिये पशुधन सहायक में दो वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है, एवं अनुभव रखने वाले का प्राथमिकता दी जायेगी। आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

8.अन्य नियम एवं शर्तें:-

1. संस्थान की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के नुकसान होने पर स्वयं अनुबंधकर्ता को क्षतिपूर्ति करनी होगी।

2. कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा/अनुपस्थिति/आपतिजनक शब्दावली के प्रयोग की गई तो उस दिन का कार्य संतोषजनक ना मानते हुये प्रस्तुत बिल से राशि रू. 500 प्रति दिन कटौति कर दी जायेगी। बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा। किसी दिन कार्य न होने पर उस दिन की कटौती की जाएगी। माह के अन्त में बिल प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह प्रमाण पत्र अंकित करना होगा कि श्रम कानून का पालन किया गया है।

3. कार्य संतोषजनक पूर्ण नहीं होने पर कटौती का निर्णय परियोजना अन्वेशक की स्वीकृति से होगा।

4- कुल लागत की 10 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में जमा कराना होगा। उसके बाद ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। यह राशि अनुबन्ध की अवधि सन्तोषजनक पूरी होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी। यदि अनुबन्धकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसकी जमा धरोहर राशि को जब्त करते हुये अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जायेगा।

5. श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। श्रमिकों को भुगतान करने वाले रिकार्ड रजिस्टर की एक सत्यापित फोटो कॉपी बिल के साथ संलग्न कर भेजनी होगी, अन्यथा बिल का भुगतान नहीं होगा। श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायलय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। अत/ संस्थान श्रमिक द्वारा प्रस्तुत किसी भी दावे/क्लेम के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

6. आदेश में वर्णित सभी नियम एवं शर्तों को स्वीकार करने का इकरारनामा रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पंजीकृत नोटरी से अपने खर्चे पर सात दिन में प्रमाणित करवा कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

7- अनुबन्धकर्ता का आयकर विभाग से आवंटित पेन नम्बर होना अनिवार्य है।

8- संस्थान के प्रभागाध्यक्ष को बिना कारण बताये अनुबन्ध को रद्द करने घटाने व बढाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

9- किसी भी विवाद में प्रभागाध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होगा। समस्त कानूनी वाद बीकानेर क्षेत्र के अन्तर्गत ही मान्य होंगे।

प्रभारी क्रय एवं भण्डार अनुभाग

उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मुझे मंजूर हैं। इन्हें मैंने अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है। मगरा फील्ड यूनिट में पशुधन सहायक के कार्य अनुबंध के लिए मेरी दर रू.. प्रति माह एवं मारवाडी परियोजना में पशुधन सहायक के कार्य अनुबंध के लिए दर रू.. प्रति माह होगी।

हस्ताक्षर निविदा प्रस्तुतकर्ता:________________